न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –06 / 2026 (प्रा0पत्र)

सरकार जर्ये पुलिस थाना चेचट जिला कोटा।

अभियोगी

बनाम

विजन बारिया पुत्र किशना निवासी बगडी बडी झाबुआ मध्य प्रदेश ।

प्रतिपक्षी

जिला कलेक्टर कोटा सत्यमेव जयते

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 262 / 2025 थाना चेचट जुर्म अन्तर्गत 3,5,8,9,10 गोवंश अधिनियम व धारा 281 बीएनएस पुलिस थाना चेचट **प्रार्थना पत्र** बाबत रिलीज किये जाने वाहन ट्रक नं0 MP-13-ZD-0434

उपस्थितः–

1. श्री फारूख हुंसेन, अभिभाषक – आवेदक प्रार्थी
2. सहा0 लोक अभियोजक –पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक–17 .03.2026

1 संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र विजन बारिया पुत्र किशना निवासी बगडी बडी झाबुआ मध्य प्रदेश द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त प्रकरण पुलिस थाना चेचट द्वारा दर्ज कर प्रार्थी का वाहन **ट्रक नं0 MP-13-ZD-0434** को जप्त कर लिया है जो थाना चेचट की कस्टडी में है । प्रकरण में चालान पेश हो चुका है पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी वाहन मालिक है । प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है प्रार्थी का वाहन खडे रहने पर आर्थिक क्षति हो रही है । आदेशानुसार जमानतनामा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है । अतः उक्त वाहन प्रार्थी को रिलीज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

2 प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अधीनस्थ पुलिस थाने से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक/234 दिनांक 30.1.2026 से प्राप्तशुदा है । वकील प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3 वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के प्रार्थी का वाहन का वाहन **ट्रक नं0 MP-13-ZD-0434** को जप्त कर लिया है जो थाना चेचट की कस्टडी में है । प्रकरण में चालान पेश हो चुका है पुलिस अनुसंधान पूर्ण कर लिया है और पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी वाहन मालिक है । प्रार्थी को उक्त वाहन की आवश्यकता है प्रार्थी का वाहन खडे रहने पर आर्थिक क्षति हो रही है । आदेशानुसार जमानतनामा सुपुर्दगीनामा पेश करने को तत्पर है । अतः उक्त वाहन **ट्रक नं0 MP-13-ZD-0434** को प्रार्थी को रिलीज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

4 पेरोकार सरकार सहा लोक अभियोजन द्वारा अपनी बहस में कथन किया है प्रार्थी को थाना चेचट द्वारा गोवंश से भरे वाहन ट्रक वाहन **ट्रक नं0 MP-13-ZD-0434** में 28 नर गोवंश जिनमें से 13 नगर गौवंश सफेद रंग के उम्री 2 से 4 साल, 09 गोवंश बछडे लाल रंग के उम्र 2–4 साल हल्के तथा 6 नर गोवंश काले रंग के उम्र 2–4 साल करीब है । उक्त सभी 28 नर गोवंश में से 03 गोवंश मृत अवस्था में पाये गये, जीवित 25 गोवंश ठूंस ठूंस कर भरेहुए मिले जिनके पेर सिंग से बंधे हुये चेचट नाकाबंदी के दौरान रावतभाटा की तरफ से आ रहे ट्रक को चैक करने पर पाया पकड़ा गया । प्रार्थीगण के विरूद्व अपराध धारा 3,5,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान होकर चालान पेश हो चुका है ।

चालान न्यायालय एसीजेएम रामगंजमण्डी में पेश हो चुका है । जप्तशुदा वाहन से सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण होना बताया है । अधिनियम की धारा 6क के अन्तर्गत वाहन का निपटारा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी जिला कलक्टर है ।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । थानाधिकारी चेचट द्वारा गोवंश से भरे वाहन टाटा अल्ट्रा 1518 रजिस्ट– **MP-13-ZD-0434** इंजन नं0 **SLNGDICR17ERY505424** में 28 गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए जिनमें से 03 मृत गोवंश पाये गये तथा 25 जीवित गोवंश ठूंस ठूंस कर भरे हुए मिले जिनके पेर सिंग से बंधे हुये चेचट नाकाबंदी के दौरान रावतभाटा की तरफ से आ रहे ट्रक को चैक करने पर पाया पकड़ा गया । प्रार्थीगण के विरूद्व अपराध धारा 3,5,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय अधिनियम 1995 अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया । प्रकरण में अनुसंधान होकर चालान पेश हो चुका है । चालान न्यायालय एसीजेएम रामगंजमण्डी में पेश हो चुका है । जप्तशुदा वाहन से सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण होना बताया है ।

6 अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि यदि वाहन सुपुर्दगीदार 5,00,000/– पांच लाख रूपये का जमानतनामा एवं 5,00,000/– पांच लाख रूपये का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत कर दे तो मुल्जिमान के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना वाहन रिलीज के आदेश सशर्त दिये जाते है । जब भी किसी भी न्यायालय में उक्त वाहन की आवश्यकता होगी तो तुरन्त न्यायालय आदेश की पालना में सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तथा वाहन का विक्रय आदि से खुर्द बुर्द नहीं करेगा । बाद पालना वाहन रिलीज हेतु थानाधिकारी चेचट को इस आशय की तहरीर जारी की जावें ।

7 निर्णय आज दिनांक 17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा